बिहार सरकार,
<u>कृषि विभाग।</u>

पत्र संख्या–पी0पी0एम0–40/2016 1133 /कृ0, पटना, दिनांक 9/3/ 2017

प्रेषक,

सुधीर कुमार
प्रधान सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

सेवा में,

महालेखाकार, बिहार,
वीरचन्द पटेल पथ, पटना।

(+) अनौपचारिक रूप से परामर्शित। द्वारा : **वित्त विभाग, बिहार, पटना। (+)**

विषय : **राज्य सरकार द्वारा धान की न्यूनतम समर्थन मूल्य के उपर बोनस राशि की स्वीकृति के फलस्वरूप धान बीज उत्पादक किसानों को वर्ष 2014–15 के बकाया बोनस भुगतान हेतु वर्ष 2016–17 में सामान्य जाति वर्ग के किसानों के लिए 3365694.00 रू0 (तेतीस लाख पैंसठ हजार छः सौ चौरानवे रू0) की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति।**

आदेश :– स्वीकृत।

राज्य सरकार द्वारा धान की न्यूनतम समर्थन मूल्य के उपर बोनस राशि की स्वीकृति के फलस्वरूप धान बीज उत्पादक किसानों को वर्ष 2014–15 के बकाया बोनस भुगतान हेतु वर्ष 2016–17 में सामान्य जाति वर्ग के किसानों के लिए 3365694.00 रू0 (तेतीस लाख पैंसठ हजार छः सौ चौरानवे रू0) की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति प्रदान की गई है।

2. निगम द्वारा उत्पादित बीज का क्रय किया जाता है। प्रसंस्करण के पश्चात प्रसंस्कृत बीज की मात्रा के विरूद्ध बीज की दर से भुगतान किया जाता है एवं छँटनी की गई मात्रा पर न्यूनतम समर्थन मूल्य अथवा बाजार मूल्य पर भुगतान किया जाता है। सामान्य तौर पर न्यूनतम समर्थन मूल्य अथवा बाजार मूल्य से 15–20 प्रतिशत अधिक मूल्य पर बीज की क्रय की जाती है। वर्ष 2014 खरीफ में बीज की अधिप्राप्ति के लिए निगम द्वारा किस्म के अनुसार बीज अधिप्राप्ति का मूल्य निर्धारित किया गया है। निगम द्वारा वर्ष 2014 में बीज अधिप्राप्ति का न्यूनतम मूल्य 1610 रू0 प्रति क्वीं0 निर्धारित है। धान की अधिप्राप्ति मूल्य 1410 रू0 प्रति क्वीं0 के आधार पर उक्त दर निर्धारित किया गया था। राज्य सरकार द्वारा धान के अधिप्राप्ति मूल्य के उपर 300/– रू0 प्रति क्वीं0 की दर से न्यूनतम समर्थन मूल्य देने हेतु निदेशित किया गया है। यह लाभ बीज उत्पादक किसानों को देने हेतु योजना प्रस्तावित है।

3. वर्ष 2015–16 में बिहार राज्य बीज निगम को खरीफ 2014 के अनुसूचित जनजाति वर्ग के किसानों के धान बीज के बकाया बोनस भुगतान मद में 198000.00 रू0 (एक लाख अंठानवे हजार रूपये) उपलब्ध कराया गया था। अनुसूचित जनजाति वर्ग के बीज उत्पादक किसान के नहीं रहने के कारण यह राशि निगम के पी0एल0 खाता में अवशेष है। अवशेष राशि को निगम द्वारा प्रत्यार्पित कर विभाग को संसूचित किया जायेगा।

4. बिहार राज्य बीज निगम को खरीफ 2014 में प्रसंस्कृत धान बीज 65999.88 क्वीं0 से संबंधित अवशेष किसानों को जिनको वर्ष 2015–16 में स्वीकृत राशि 300/– रू0 प्रति क्वी0 की दर से बोनस की राशि उपलब्ध नहीं हो पायी है उन्हें राशि उपलब्ध कराया जायेगा। यह राशि बीज निगम को सहायक अनुदान के रूप में विमुक्त की जायेगी। बीज उत्पादक किसानों को बीज के लिए निगम द्वारा निर्धारित मूल्य के अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा घोषित बोनस की राशि भुगतान की जायेगी।

E:\ABHINAV\2016-17\BRBN Bonus 2016.docx

5. निकासी हेतु स्वीकृत राशि 3365694.00 रू0 (तेतीस लाख पैंसठ हजार छः सौ चौरानवे रू0) की निकासी मुख्य शीर्ष 2401–फसल कृषि–कर्म, उप मुख्य शीर्ष 00, लघु शीर्ष–103–बीज, मांग सं0–01, उपशीर्ष–0109–बीज गुणन फार्मो का विस्तार खेती पर व्यय, विपत्र कोड–P2401001030109, राज्य योजना स्कीम कोड– AGR–5682, विषय शीर्ष–3106– सहायक अनुदान वेतनादि के अलावा वर्ष 2016–17 में उपबंधित 390.00 लाख रू0 में से विकलनीय होगा।

7. स्वीकृत राशि की निकासी कृषि निदेशक, बिहार, पटना द्वारा BTC-42 फार्म में सचिवालय कोषागार, पटना से कर बिहार राज्य बीज निगम के पी0एल0 खाता सं0– PLA 271 में हस्तांतरित की जायेगी। बिहार राज्य बीज निगम द्वारा उपयोगिता प्रमाण पत्र कृषि विभाग को उपलब्ध करायी जायेगी एवं इसकी प्रति महालेखाकार, बिहार के कार्यालय में भेजी जायेगी। साथ ही बिहार वित्तीय नियमावली अनुरूप अंकेक्षित लेखा विवरणी उपलब्ध कराने का भी अनिवार्यता होगी। बिहार राज्य बीज निगम द्वारा इस योजना के लिए अलग से लेखा संधारण सुनिश्चित किया जायेगा। महालेखाकार, बिहार को अंकेक्षण का अधिकार होगा।

8. मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग की अधिसूचना संख्या 602 दिनांक 20.03.2007 एवं वित्त विभाग के संकल्प संख्या– 96वि0 (2) दिनांक 03.01.2008 में निहित प्रावधान के आलोक में उक्त योजना के कार्यान्वयन में प्रधान सचिव, कृषि की स्वीकृति संचिका संख्या– पी0पी0एम0– 40/2016 के पृ0सं0– 15/टि. पर दिनांक : 23.02.2017 को प्राप्त है।

9. वित्त विभागीय परिपत्र संख्या– 7355 वि0 (2) दिनांक 05.10.2007 के आलोक में महालेखाकार, बिहार, पटना से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

10. राज्यादेश में आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या– पी0पी0एम0–40/2016 के पृ0सं0– 17/टि0 पर दिनांकः 08.03.2017 को प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

9.3.2017

(सुधीर कुमार)
प्रधान सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक– पी0पी0एम0–40/2016 1133 /कृ0, पटना दिनांक– 9/3/ 2017

प्रतिलिपिः– योजना एवं विकास विभाग/मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग एवं वित विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

9.3.2017

प्रधान सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक– पी0पी0एम0–40/2016 1133 /कृ0, पटना दिनांक– 9/3/ 2017

प्रतिलिपिः– सचिवालय कोषागार पदाधिकारी, विकास भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

9.3.2017

प्रधान सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक– पी0पी0एम0–40/2016 1133 /कृ0, पटना दिनांक– 9/3/ 2017

प्रतिलिपिः– माननीय मंत्री, कृषि के आप्त सचिव/कृषि उत्पादन आयुक्त के प्रधान आप्त सचिव/ प्रधान सचिव, कृषि विभाग के आप्त सचिव/कृषि निदेशक/प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य बीज निगम लि0, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, उप निदेशक (शष्य) बीज, कृषि निदेशालय, बिहार, पटना/सभी जिला कृषि पदाधिकारी/सभी प्रमंडलीय संयुक्त निदेशक (शष्य)/सभी अनुमंडल कृषि पदाधिकारी/उप निदेशक (शष्य) प्रक्षेत्र/ प्रभारी बजट पदाधिकारी, कृषि विभाग, बिहार, पटना सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु/उप निदेशक (शष्य) सूचना, बिहार, पटना को विभाग के वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

9.3.2017

प्रधान सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

8/3/17

E:\ABHINAV\2016-17\BRBN Bonus 2016.docx